COURT FEE कोर्ट फी ₹20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(7)

निगरानी प्र.कं. / 2016

A.II – 1283 – III – 16

न्यायालय श्रीमान महोदय, म.प्र.

1. राजेन्द्र पिता बसंतीलालजी माली,
   आयु 55 वर्ष लगभग, व्यवसाय कृषि,
   निवासी मालीकुंआ रतलाम

2. प्रवीण पिता विनोद माली,
3. हितेश पिता विनोद माली,
4. गोपाल पिता विनोद माली,
   निवासीयान मालीकुंआ रतलाम म.प्र. .... प्रार्थीगण

विरुध्द

श्रीमती सारिका पति श्री सुरेन्द्रजी मकवाना,
आयु 40 वर्ष, व्यवसाय खेती एवं कोचिंग,
निवासी 53 महालक्ष्मीनगर रतलाम ....प्रतिप्रार्थी

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय रतलाम ग्रामीण व्दारा प्र.कं. 9–अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.02.16 कि जिसके व्दारा प्रार्थीगण व्दारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता का निरस्त किया गया, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1283–तीन/16 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–2–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा इस आशय के निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि यदि सीमांकन गलत हुआ था, तब सीमांकन कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना चाहिए था, इस प्रकम पर सीमांकन की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है । नक्शा दुरूस्ती प्रकरण के निराकरण उपरान्त उभय पक्ष तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । तहसीदार द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में उनका आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	